न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

GCMS No. 2009/00006

अपील संख्या: 96 / 2009 एल.आर.एक्ट

1. राजेन्द्र कुमार — पिसरान मथुरा प्रसाद जोशी (वारिसान) मृतक तुलसीदेवी पुत्री
2. महेन्द्र कुमार — गोरधन दास जाति ब्राह्मण निवासी साले की होली बीकानेर
3. कमला
4. विमला
5. प्रमिला
6. शर्मिला
7. मनीषा
8. नारायणदास — पुत्रगण श्री गोरधन दास जाति ब्राह्मण निवासी साले की होली
9. मदनलाल — बीकानेर

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मुन्शीराम — निवासीगण पचग्रहीकलां तहसील व जिला
2. मुन्शीराम पुत्र जवाहर लाल — फरीदकोट, पंजाब।
3. कृष्णराम पुत्र अमीचंद कक्कड़
4. मुखत्यार सिंह पुत्र नंदसिंह
5. गुरदयाल सिंह पुत्र नंदसिंह
6. करनले सिंह पुत्र नंदसिंह
7. करनेल सिंह पुत्र दयाल सिंह
8. जरनेल सिंह पुत्र दयाल सिंह
9. मोहनलाल — पिसरान गोरधनदास जाति ब्राह्मण निवासीगण साले
10. छगनलाल — की होली बीकानेर
11. रामदयाल
12. सुशीला पत्नि बाबूलाल
13. राजकुमार — पिसरान स्व. बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण साले की होली
14. किसनकुमार — बीकानेर
15. इन्द्र कुमार
16. राजकुमारी
17. यशोदा
18. जेठा बाई
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर
20. सीमा सिंह पत्नि शैलेन्द्रसिंह — जाति राजपूत निवासी सिहोठ हाउस आमली रोड़ सीकर जरिये मुख्त्यार आम आनन्द कौशिक पुत्र श्री छगनलाल शर्मा निवासी सीकर रोड़, जयपुर
21. अनिता पत्नि संजय कुमार — जाति सैन निवासी मालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल बीकानेर मुख्त्यार आम आनन्द कौशिक पुत्र श्री छगनलाल शर्मा निवासी सीकर रोड़, जयपुर
22. रतन कंवर पत्नि नवलसिंह — मुख्त्यार आम आनन्द कौशिक पुत्र श्री छगनलाल शर्मा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

		निवासी सीकर रोड़, जयपुर
23.	सपना कंवर पत्नि महेन्द्र रतनावत	मुख्त्यार आम आनन्द कौशिक पुत्र श्री छगनलाल शर्मा निवासी सीकर रोड़, जयपुर

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री जयचन्दलाल सारस्वत – अभिभाषक अपीलांट्स
श्री ओमप्रकाश चाण्डक – अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 31.08.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.05.2002 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– ग्राम रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 62/19 (पुराने) ख.नं. मीन में 406 बीघा भूमि गोरधन दास पुत्र बाबूलाल की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि में से 200 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 24.05.1969 को विक्रय कर दी थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 146 नायब तहसीलदार बीकानेर द्वारा दिनांक 15.09.1973 को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज कर दिया गया। गोरधनदास व बाबूलाल की खातेदारी भूमि के बाबत उपखण्ड अधिकारी (सीलिंग) का मामला दायर किया गया जहां पर निर्णय दिनांक 17.09.1971 से विवादित भूमि सीलिंग से मुक्त रखी गई। परन्तु उपखण्ड अधिकारी सीलिंग के आदेश दिनांक 17.09.1971 का हवाला देते हुए नायब तहसीलदार, बीकानेर ने इन्तकाल संख्या 160 दिनांक 03.02.1975 से 200 बीघा भूमि जो रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 8 को विक्रय की गई का इन्तकाल पुनः विक्रेता गोरधन दास के नाम कर दिया। इसके अलावा नायब तहसीलदार ने इन्तकाल सं. 161 स्वीकृत कर विवादित भूमि को आगे खातेदारों के पुत्रों के नाम दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 8 द्वारा जरिये बैयनामा भूमि क्रय किये जाने एवं रिकार्ड में खातेदार दर्ज होने के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 160 दिनांक 03.02.1975 के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उतर), बीकानेर में प्रथम अपील 86/1996 प्रस्तुत की गई जो बाद निर्णय दिनांक 18.05.2002 द्वारा रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 8 की प्रथम अपील स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार बीकानेर द्वारा स्वीकृत किये गये इन्तकाल संख्या 160 व 161 दिनांक 03.02.1975 पर दिये गये आदेश को निरस्त किया जाकर बैयनामा का स्वीकृत इन्तकाल संख्या 146 दिनांक 15.09.1973 जो रेस्पोडेन्ट्स क्रेतागण 1 ता 8 के नाम स्वीकृत किया गया था को पुनः प्रतिस्थापित करने का आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उतर), बीकानेर के आदेश दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

18.05.2002 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा इन्तकाल संख्या 160 व 161 दिनांक 03.02.1975 को पुनः बहाल करने हेतु इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 क्रेता सहित कुल 19 रेस्पोडेन्ट्स बनाये गये थे। तत्पश्चात् इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.07.2017 द्वारा अपील में अन्य चार रेस्पोडेन्ट्स को अप्रार्थी बनाये जाने के आदेश पारित किये। इसप्रकार कुल 23 रेस्पोडेन्ट्स है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री जयचन्दलाल सारस्वत ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित जिन निर्णयों का उल्लेख किया जा रहा है वे मेरी जानकारी में नही है। अगर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में कोई आदेश इस संदर्भ में पारित हुए है तो न्यायालय अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा उठाये गई विधिक आपत्ति पर कानूनी आधार पर निर्णय पारित करे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स श्री ओमप्रकाश चाण्डक ने दौराने बहस अवगत कराया है कि जैर अपील आदेश दिनांक 18.05.2002 के विरूद्ध पूर्व में अपील मोहनलाल बनाम ओमप्रकाश आदि पेश हुई जो अपील संख्या 39/2002 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर के निर्णय दिनांक 25.02.2008 को खारिज की जा चुकी है, इसीप्रकार इसी आदेश जैर अपील के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 38/2002 मदन लाल बनाम ओमप्रकाश व अपील संख्या 54/2002 चन्द्रसिंह बनाम मोहनलाल आदि निर्णय दिनांक 25.02.2008 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा खारिज किया जा चुका है। अपील आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है और न ही इसके लिए पक्षकारान की तलबी की आवश्यकता है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.05.2002 मिसल संख्या 86/1996 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। चूंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.05.2002 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर में प्रस्तुत अपील संख्या 38/2002, 39/2002 एवं 54/2002 पूर्व में खारिज की जा चुकी है। उपरोक्त निर्णयों के उपरान्त आदेश दिनांक 18.05.2002 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। अतः अपील अपीलांट सारहीन (Infructuous) होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर